संख्या-14028/25/94-स्था0(छुट्टी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7-10-, 1996

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अधिवर्षिता पर और सेवा के दौरान मृत्यु के मामलों में अर्द-वेतन छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में रेलवे को छोड़कर अन्य विभागों के औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच असंगति दूर करना ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 8.1.86 तथा 8.5.87 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12012/1/82-स्था0(छुट्टी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि यह विभाग इस प्रश्न पर विचार करता रहा है कि रेलवे को छोड़कर अन्य विभागों के औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के अर्द-वेतन छुट्टी के मामले में 1983 के सी.ए. संदर्भ संख्या 2 के विवाचन-बोर्ड के अधिनिर्णय के कार्यान्वयन-स्वरूप जारी उपर्युक्त आदेश के अंतर्गत 1.1.85 से की गई समता, जो 1986 के सी.ए. संदर्भ संख्या 1 के विवाचन-बोर्ड के अधिनिर्णय के कार्यान्वयन-स्वरूप गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को दी जाती है, क्या अधिवर्षिता इत्यादि पर, अर्द-वेतन छुट्टी के नकदीकरण में भी लागू की जा सकती है । वित्त मंत्रालय तथा विधि-मंत्रालय के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक कर्मचारी जो फैक्टरी-अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शासित होते हैं, को भी अधिवर्षिता पर अर्द-वेतन छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा दी जाए । तद्नुसार, अधिवर्षिता पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अर्द-वेतन छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा देने के, इस विभाग के दिनांक 6.4.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14020/1/90-स्था0(छुट्टी) (दिनांक 13.4.94 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथा-संशोधित) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, फैक्टरी-अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शासित औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में लागू किए जाएंगे तथा ऐसे औद्योगिक कर्मचारियों, जो 1.1.85 को अथवा उसके पश्चात् अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए/होते हैं, को उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अधीन, उनके खाते में जमा संपूर्ण अर्द-वेतन-छुट्टियों के नकदीकरण की सुविधा दी जाएगी और पेंशन तथा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन की धनराशि की उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में विहित निर्धारित पेंशन-फार्मूला के अनुसार देय नकद समतुल्य धनराशि में से कटौती की जाएगी ।

...2/-

यदि अर्द्ध-वेतन छुट्टी का छुट्टी वेतन, पेंशन तथा पेंशन से संबंधित अन्य प्रसुविधाओं से कम पड़ता है तो अर्द्ध-वेतन छुट्टी के समतुल्य नकद धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी । अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के मामले में नियोक्ता के अंशदान की धनराशि और उस पर प्राप्त ब्याज तथा उपदान की धनराशि पेंशन प्रसुविधाओं के रूप में मानी जाएगी । इस आशय से, पेंशन तथा उपदान के समतुल्य पेंशन की गणना के लिए इस विभाग के दिनांक 24•10•94 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14028/6/93-स्था0 {छुट्टी} {प्रति संलग्न} द्वारा परिचालित किया गया फार्मूला ही लागू होगा ।

2• किसी औद्योगिक कर्मचारी की 1•1•85 को अथवा उसके पश्चात् सेवा के दौरान या अधिवर्षिता के पश्चात्, लेकिन अर्द्ध-वेतन छुट्टी के वेतन की समतुल्य धनराशि प्राप्त करने से पहले मृत्यु होने के मामलों में भी छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा, इस विभाग के दिनांक 29•5•95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14020/2/93-स्था0 {छुट्टी} {प्रतिलिपि संलग्न} में दी गई शर्तों के अधीन, उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित फार्मूले के अनुसार, जहां कहीं देय हो, दी जा सकती है ।

3• ये आदेश रक्षा-मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों {औद्योगिक कर्मचारियों} के मामलों में भी लागू होंगे ।

4• ये आदेश 1•1•85 से प्रभावी होंगे ।

{बी0 नगर}
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।